प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 17 जनवरी, 2025

विषयः- छत्रपति शाहूजी महाराज सेवा संस्थान, द्वारा जनपद चित्रकूट में बिना पूर्वानुमति के 5.0586हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि का उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-89(3) के अधीन विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4599/भूमि व्यवस्था/2024-25 दिनांक-28.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा छत्रपति शाहू जी महाराज सेवा संस्थान बल्दाऊगंज कर्वी, तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट में MEMORANDUM UNDERSTANDING में प्रोजेक्ट नेम में नर्सिंग कॉलेज व प्रोजेक्ट डिटेल्स में BSC नर्सिंग तथा शपथ-पत्र में उल्लिखित प्रयोजन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम-इलैहाबढ़ैया, तहसील मानिकपुर जनपद-चित्रकूट तथा ग्राम रंगौली, तहसील कर्वी, जनपद-चित्रकूट में बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा 5.0586हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि 20.3219हे0 के विनियमितीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में श्री राज्यपाल छत्रपति शाहू जी महाराज सेवा संस्थान बल्दाऊगंज कर्वी, तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट में MEMORANDUM UNDERSTANDING में प्रोजेक्ट नेम में नर्सिंग कॉलेज व प्रोजेक्ट डिटेल्स में BSC नर्सिंग तथा शपथ-पत्र में उल्लिखित प्रयोजन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कुल धारित भूमि 25.3805हे0 के सापेक्ष विहित सीमा 5.0586हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि 20.3219हे0 के सशुल्क विनियमितीकरण निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग नर्सिंग कॉलेज व प्रोजेक्ट डिटेल्स में BSC नर्सिंग तथा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) संस्था द्वारा ग्राम-इलैहाबढ़ैया, तहसील मानिकपुर जनपद-चित्रकूट तथा ग्राम रंगौली, तहसील कर्वी, जनपद-चित्रकूट में बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा 5.0586हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि 20.3219हे0 के सापेक्ष रू0 7,00,000.00 प्रति हे0 सर्किल की दर से आगणित कुल मालियत रू0 1,42,25,330.00 (एक करोड़ बयालिस लाख पच्चीस हजार तीन सौ तीस रूपये) का 10 प्रतिशत अर्थात् रू0 14,22,533.00 (रू0 चौदह लाख बाइस हजार पांच सौ तैंतीस) को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) यदि संस्था उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-89 की उपधारा-(3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर नर्सिंग कॉलेज एवं निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने में विफल रहती है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित/क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू होंगे। परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को तदनिमित्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात अग्रेतर तीन वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(4) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य यदि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन की भूमि आती है तो उक्त भूमि का विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर अलग से सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय-पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किये गये हैं तथा कोई भी भूमि असंक्रमणीय भूमिधर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के भूमिधर से क्रय नहीं की गयी है।

(6) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा व किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
राम रतन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) आयुक्त, चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट।
(4) प्रबन्धक, छत्रपति शाहू जी महाराज सेवा संस्थान, बल्दाऊगंज कर्वी, तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट-210205
(5) गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in